संख्या:-18/2024/1031/78-1-2024-01आई0टी0/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2024

**विषयः- मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूंजीगत उपादान के संवितरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एस.डी.एन.) द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत निवेश के प्रस्ताव तथा प्रोत्साहनों की मांग पर उक्त नीति के अन्तर्गत गठित नीति कार्यान्वयन इकाई की दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं 27 जुलाई, 2020 को सम्पन्न बैठकों में एवं तत्पश्चात् सशक्त समिति की दिनांक 06 अगस्त, 2020 को सम्पन्न बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

2. कालान्तर में माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:-2362/78-1-2020-03आईटी 2020 दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 द्वारा मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को निम्नवत् सुविधायें अनुमन्य की गई हैं-

a.) उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने पर परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा रु0 150.00 करोड़ तक अनुमन्य होगी।

b.) उक्त पूंजीगत उपादान के साथ मेसर्स एस.डी.एन. को रु0 1000.00 करोड़ से अधिक निवेश पर क्रमिक निवेश (इन्क्रीमेन्टल इन्वेस्टमेंट) के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजीगत उपादान जिसकी अधिकतम सीमा रु0 100.00 करोड़ होगी, उत्पादन प्रारम्भ करने पर अनुमन्य होगी। यह अतिरिक्त पूंजी उपादान 05 वार्षिक किश्तों में देय होगा।

c.) नीति के अनुसार मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस.डी.एन. को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

d.) पूंजीगत उपादान हेतु निवेश की गणना हेतु निवेशक द्वारा प्रस्तावित किये गये स्थिर पूंजी निवेश में रु0 473.00 करोड़ की पुरानी मशीनों (IInd hand machinery) के मूल्य की गणना भारत सरकार द्वारा निर्गत SPECS योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार कर उनकी लागत को स्थिर पूंजी निवेश के रूप में अनुमन्य होगी।

e.) मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस.डी.एन. को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि पर जिन नये भवनों का निर्माण भूमि हस्तान्तरण से पूर्व कर लिया गया है, उनकी लागत को स्टाम्प शुल्क की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017'' के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल संस्था - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 31 दिसम्बर 2020 निर्गत किया गया है।

4. माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 तथा नोडल संस्था - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के अन्तर्गत मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0 (मेसर्स एस.आई.एल.) से मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एस.डी.एन.) को हस्तान्तरित की गई भूमि पर निवेशक द्वारा स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर ली गई है तथा अग्रेतर उक्त नीति के अन्तर्गत पूंजी उपादान का संवितरण किये जाने की मांग की गई।

5. नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा इलेक्ट्रानिक्स पी.एम.यू. कन्सल्टेण्ट्स के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2022 को मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

6. उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशक कम्पनियों को प्रोत्साहन संवितरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों/अभिलेखों की प्रोसेसिंग तथा परीक्षण/ सत्यापन के लिए सूचीबद्ध वैल्यूअर/ वेरीफिकेशन एजेन्सी M/s PSMG and Associates द्वारा मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन व सत्यापन के पश्चात निवेशक का कुल निवेश रु0 1573.90 करोड़ पात्र पाया गया। M/s PSMG and Associates द्वारा प्रस्तुत सत्यापन आख्या/ऑडिट रिपोर्ट के अंगस्वरूप सम्मिलित Certificate as per Eligible Investment Amount में पात्र पूंजी उपादान का आगणन निम्नवत् पाया गया है:-

| Particulars | Investment | Capital | Capital Subsidy as per verification by |
|---|---|---|---|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | (Rs. in Crores) | Subsidy as claimed (Rs. in Crores) | Valuer (Rs. in Crores) |
|---|---|---|---|
| On First Rs. 1000 Cr. @ 15% | 1000 Cr. | 150.00 | 150.00 |
| On Next Rs. 1000 @ 10% (Payayable in 5 equally instalment after commencing production.) | 1000 Cr. | 100.00 | 57.39 (573.90*10%) |
| On Balance of Rs. 1023 Cr. | 1023 Cr. | - | - |
| **Total as per verification** | 3023 Cr. | **250.00** | **207.39** (excluding old P&M**) out of which **INR 150 Cr. payable in one shot and remaining in 5 instalments i.e. 57.39/5 = 11.47 Cr. (as per GO No. 2362/78-1-2020-031.T./2020 clause 2(b) dated 14 DEC 2020.)**<br>**** Old machinery will be valued in accordance with SPECS scheme (as per SPECS guidelines dated 31 MAY 2020) & will be maximum upto INR 473.00 Cr. (as per GO No 2362/78-1-2020-031.T./2020 clause 2(d) dated 14 DEC 2020.)** |

7. मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी उपादान की मांग पर नीति कार्यान्वयन इकाई की दिनांक 17 नवम्बर, 2023 को आहूत बैठक में विचार किया गया। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा पाया गया कि वर्तमान में 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)' प्रचलित है। उक्त नीति के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या:-1901/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 11 जनवरी, 2021 में व्यवस्था है कि रु0 200 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले मामले में लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा रु0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले मामले में नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था है कि रु0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति की संस्तुति के पश्चात मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती वितरण सशक्त समिति के ही अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन संवितरण के मामलों में भी उक्त व्यवस्था को अंगीकृत किया जाये।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. उक्त बैठक में निवेशक के प्रतिनिधियों द्वारा उल्लेख किया गया कि नई मशीनों/ उपकरणों का मूल्यांकन करते हुए नई मशीनों/उपकरणों के मूल्य रु0 5,63,05,55,391/- के सापेक्ष वेरीफिकेशन एजेन्सी M/s PSMG and Associates द्वारा 20 प्रतिशत (धनराशि रु0 1,12,61,11,078/-) की कटौती करके रु0 4,50,44,44,313/- की धनराशि को नई मशीनों/उपकरणों के मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। वेरीफिकेशन एजेन्सी M/s PSMG and Associates द्वारा इसका कारण इन मशीनों/ उपकरणों के लिए निवेशक द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्पादित नहीं किया जाना सूचित किया गया। इस सम्बन्ध में निवेशक के प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया गया कि ये मशीनें/उपकरण अत्यधिक प्रेसीजन और विशेष रूप से मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के लिए ही बनाये गये थे, अतः इनके लिए निविदा प्रक्रिया नहीं की गई। इस बिन्दु पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्देश दिये गये कि निवेशक द्वारा अपना लिखित प्रत्यावेदन नोडल संस्था को प्रस्तुत कर दिया जाये तथा निवेशक द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर सशक्त समिति द्वारा विचार कर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

9. प्रकरण में नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा की गई संस्तुतियों पर सशक्त समिति द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया। बैठक में सूचित किया गया कि M/s PSMG and Associates द्वारा 20 प्रतिशत (धनराशि रु 1,12,61,11,078/-) की कटौती के सम्बन्ध में यद्यपि निवेशक द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2023 को ई-मेल के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन दिया गया था, किन्तु अन्य ई-मेल दिनांक 02 दिसम्बर 2023 के माध्यम से निवेशक द्वारा उक्त प्रत्यावेदन को निरस्त माने जाने तथा निविदा प्रक्रिया सम्पादित नहीं किये जाने के कारण, नई मशीनों/उपकरणों के मूल्य रु0 5,63,05,55,391/- के सापेक्ष वेरीफिकेशन एजेन्सी द्वारा 20 प्रतिशत (धनराशि रु0 1,12,61,11,078/-) की कटौती करके रु0 4,50,44,44,313/- की धनराशि को नई मशीनों/उपकरणों के मूल्य के रूप में स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त की गई है।

10. सशक्त समिति द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुतियों पर विचार कर मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को कुल रु0 161.47 करोड़ (रु0 150.00 करोड़ + रु0 11.47 करोड़) का पूंजीगत उपादान का प्रथम संवितरण किये जाने हेतु प्रकरण को मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

11. प्रकरण में यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सम्पादित प्रक्रिया, M/s PSMG and Associates द्वारा अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन व सत्यापन के पश्चात प्रस्तुत

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सत्यापन आख्या/ऑडिट रिपोर्ट, पी.एम.यू. की संस्तुति तथा नीति कार्यान्वयन इकाई एवं सशक्त समिति की बैठकों में प्रस्तुत तथ्यों एवं उनकी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रकरण को उपयुक्त पाते हुए मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एस.डी.एन.) को कुल रु0 161.47 करोड़ (रु0 150.00 करोड़ + रु0 11.47 करोड़) के पूंजीगत उपादान का प्रथम संवितरण किए जाने तथा आगामी वर्षों में अनुवर्ती वितरण सशक्त समिति के ही अनुमोदन के पश्चात किये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. नोडल संस्था द्वारा इकाई को पूंजीगत उपादान के संवितरण हेतु शासन से धनराशि की स्वीकृति प्राप्त करने तथा शासनादेश संख्या:-133/78-1-2018-123आईटी/2016, दिनांक 31 जनवरी, 2018 का अनुपालन एवं तद्रुरूप औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए इकाई को पूंजीगत उपादान संवितरण की कार्यवाही किया जाये। संवितरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लघंन नहीं हो रहा हो।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

**संख्या:-18/2024/1031(1)/78-1-2024 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in